FORM NO. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) आसीन्द ,जिला भीलवाडा

बनाम

मुकदमा 88, 92 ए RTA प्रकरण संख्या 219/2022

म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.6/22	वाद / प्रार्थना पत्र बाद जांच प्राप्त हुआ जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे । अप्रार्थीगण / विपक्षीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. के सम्मन /नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली बईतंजार सम्मन / नोटिस के दिनांक 18.7.22 को पेश की जावें । सहायक कलक्टर(S.D.O.) आसीन्द	
182/22	पत्रावली पेश हुई । ग्रार [illegible] न्यायिक [illegible] कार्य [illegible] अधिकारी महोदय [illegible] भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 12.9.2022 को पेश हो सहायक कलक्टर आसीन्द आज्ञा से रीडर	
12.9/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित है। वकील वादीगण ने दिनांक 7.9.2022 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 CPC के प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि वादीगण प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं एवं न ही कोई आदेश या डिक्री पाना चाहते हैं। अतः कार्यवाही को इसी स्टेज पर ड्रोप की जावे। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के प्रार्थना पत्र 23(1) CPC स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को इसी स्तर पर खारिज किये [illegible] किये जाते हैं। पत्रावली [illegible] नत्थी में कस की जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर(S.D.O.) आसीन्द	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.10.07 14:26:33 IST
Reason: SelfAttested